उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून,

5th फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स,
डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड
(दूरभाष संख्या 0135–2719500, Email-ukrera2017@gmail.com)

आवश्यक सूचना

भूसम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकरण में समय–समय पर पंजीकृत ऐसी रियल इस्टेट परियोजनाऐं, जिनके पंजीकरण (registration) की वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है तथा उनके 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राधिकरण को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, के सम्प्रवर्तकों (Promoters) को निदेश दिया जाता है कि अधिनियम की धारा 6 अथवा 7(3), जैसा आवश्यक हो, के अधीन परियोजना के पंजीकरण के अवधि–विस्तार अथवा पंजीकरण को जारी रखे जाने हेतु इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यदि परियोजना नियत वैधता अवधि में निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कर ली गयी है और उसका 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त किए जाने हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकार में विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, किन्तु सक्षम प्राधिकार द्वारा परियोजना का 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' निर्गत नहीं किया गया है, उन मामलों में प्रमोटर सक्षम प्राधिकार में आवेदन दिए जाने का प्रमाण एवं निर्धारित मानकों के अनुसार परियोजना शतप्रतिशत पूर्ण होने का परियोजना के आर्कीटेक्ट से प्रमाण–पत्र शपथ पत्र के माध्यम से प्राधिकरण को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रबीन्द्र पंवार)
अध्यक्ष